

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.

दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | | | |
|--|------|--|
| 1. मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी जाति जैन निवासी सी-36, न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर। | बनाम | 1. बिरदीचन्द पुत्र श्रवण जाति कुम्हार निवासी जटवाडा
2. नानगराम पुत्र रामधन
3. तोफा पत्नि बोदूराम
4. कमलेश पुत्र बोदूराम
5. मुकेश पुत्र बोदूराम समस्त जाति कुम्हार निवासी जटवाडा।
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
7. राज. सरकार जरिये उप पंजियक बस्सी।
8. जयपुर सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लि. मेनेजर। |
|--|------|--|

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 15/16

निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में पेश हुई। वादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा ने की है। केम्प कोर्ट जटवाडा में मौके पर ही तहसीलदार बस्सी को वादी द्वारा कय शुदा भूमि के खसरा नम्बरों के कुर्रजात बनाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बस्सी से कुर्रजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। प्रतिवादीगण को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रजात व नक्शे पर सुना गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कुर्रजात व नक्शे के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर कुर्रजात अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन व पक्षकारान द्वारा कुर्रजात पर सहमति जाहिर करने एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 426/3, 545/1, 547/1, 701/10, 701/2, 701/7, 701/8, 1414/545, 1415/545, 1416/545, 1420/547, 1421/547, 1422/547, 1555/701, 1556/701, 1557/701, 1558/701, 1559/701, 1560/701 कुल 19 कुल रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख0न0 1677/1555/701, 1678/1556/701, 1679/1557/701, 1680/1558/701, 1681/1559/701, 1682/701/2, 1683/701/7, 1684/701/8 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.19 बीघा भूमि खातेदार मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी जाति जैन निवासी सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर के हिस्से में रहेगी तथा ख0न0 1555/701, 701/2, 1556/701, 1558/701, 1559/701, 701/7, 701/8, 1560/701, 701/10, 1557/701 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 5.17 बीघा भूमि खातेदार बिरदीचन्द पुत्र श्रवण हि. 2/3 तोफा देवी पत्नि बोदूराम कमलेश मुकेश पि. बोदूराम हि. 1/3 कोम कुम्हार सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में नजमे आम में सुना गया।

Bnd
14.5.18
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी
जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी जाति जैन निवासी सी-36, न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर।	बनाम	1. बिरदीचन्द पुत्र श्रवण जाति कुम्हार निवासी जटवाडा 2. नानगराम पुत्र रामधन 3. तोफा पत्नि बोदूराम 4. कमलेश पुत्र बोदूराम 5. मुकेश पुत्र बोदूराम समस्त जाति कुम्हार निवासी जटवाडा 6. तहसीलदार महोदय बस्सी 7. उप पंजियक महोदय बस्सी 8. जयपुर सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लि. मेनेजर।
--	------	---

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 15/16

निर्णय दिनांक 14.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 426/3, 545/1, 547/1, 701/10, 701/2, 701/7, 701/8, 1414/545, 1415/545, 1416/545, 1420/547, 1421/547, 1422/547, 1555/701, 1556/701, 1557/701, 1558/701, 1559/701, 1560/701 कुल किता 19 कुल रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख0न0 1677/1555/701, 1678/1556/701, 1679/1557/701, 1680/1558/701, 1681/1559/701, 1682/701/2, 1683/701/7, 1684/701/8 कुल किता 8 कुल रकबा 1.19 बीघा भूमि खातेदार मैसर्स पाटनी कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्मस लि. पंजीकृत कार्यालय सी-39 विद्युत अभियन्ता कालोनी, हंस मार्ग मालवीयनगर, जयपुर जरिये निदेशक चेतन पाटनी पुत्र श्री सुभाष पाटनी जाति जैन निवासी सी-36 न्यू राजापार्क, रामगली न. 6 जयपुर के हिस्से में रहेगी तथा ख0न0 1555/701, 701/2, 1556/701, 1558/701, 1559/701, 701/7, 701/8, 1560/701, 701/10, 1557/701 कुल किता 10 कुल रकबा 5.17 बीघा भूमि खातेदार बिरदीचन्द पुत्र श्रवण हि. 2/3 तोफा देवी पत्नि बोदूराम कमलेश मुकेश पि. बोदूराम हि. 1/3 कोम कुम्हार सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।निजी..... मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..... ..फीसदी सात्वाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.18 को जारी किया गया।

मुहर




दस्तख्त.....
ओहदा.....
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		

दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
--	--	--	--	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


 सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बरसी जिला जयपुर